हो कि

7.10.22 पत्रावली पेश हुई। मूल प्रकरण धारा 177 स्वीकार हो चुका है। जिससे मूल प्रकरण के अभाव में TI प्रार्थनापत्र का कोई औचित्य नहीं होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर मूल पत्रावली धारा 177 के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)